

आदेश की क्रम संख्या एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

आदेश की गई
कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व अपील वाद संख्या-64/2005
U/S 48 (F) B.T.Act

- सच्चेन्द्र साह
- सच्चेन्द्र नायक, पिता-मुसाय नायक
साकिन-रोसरा, थाना-रोसरा, जिला-समस्तीपुर
 - निर्मल कुमार साह, पिता-राम चन्द्र साह
साकिन-दमगड़ा, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णियाँ

आवेदकगण

बनाम्

- राज्य
- राम चन्द्र यादव
- पवित्र यादव
- विनोद यादव

तीनों के पिता-स्व० को

विपक्षी सं०-1



विपक्षी सं०-2

साकिन-सहसौल, थाना-बी०कोठी, जिला-पूर्णियाँ

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद सं०-16/01 में दिनांक-23.06.2004 को पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद प्रारंभ किया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी सं०-2 ने मौजा-बिठनौली धनपत थाना नं०-331, खाता सं०-445, खेसरा सं०-308 रकवा 1.25 एकड़ एवं खेसरा सं०-299 रकवा 42 डि० पर बटाईहक के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में वाद सं०-16/01 दायर किया था। विपक्षीगण ने अपने आवेदन में दिनांक-07.12.2001 को उल्लेख किया है कि आवेदक के साथ जमीन बेचने की बात तय हुई थी और अग्रिम के रूप में कुछ राशि भी भूस्वामी को दिया था तथा भूस्वामी राशि प्राप्त कर प्राप्ति रसीद के रूप में एक खेसरा (पर्ची) दिया था। उसी तिथि दिनांक-07.12.2001 को भूस्वामी द्वारा जमीन खाली करने की धमकी देने का भी उल्लेख किया है। निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए पुनः वाद को साक्ष्य के आधार पर सुनने का निर्णय लिया गया था। निम्न न्यायालय में विपक्षी द्वारा तीन गवाह प्रस्तुत किया गया। किन्तु आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अन्ततः दिनांक-23.06.2004 को निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को प्रश्नगत जमीन का बटाईदार घोषित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा बिना रथल जाँच किये ही आदेश पारित किया गया जो नियम के अनुकूल नहीं है। विपक्षी ने अपने आवेदन में लिखा है कि वह भूस्वामी को जमीन के लिए कुछ रूपया अग्रिम के रूप में दिया था और भूस्वामी ने एक पर्ची पर रकम की प्रप्ति लिखकर दिया था। लेकिन विपक्षी ने कभी भी न्यायालय में वह पर्ची प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक प्रश्नगत जमीन पर स्वयं खेती करता आ रहा है। विपक्षी का बटाईदावा बिलकुल असत्य है। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मँगवाकर वाद की सुनवाई करते हुए न्याय प्रदान करने की कृपा की जाय।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं की गई है। निर्धारित तिथि दिनांक 03.02.2012 को सुनवाई की गयी। आवेदक अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में भी लगातार आवेदक अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2012 को आवेदक को अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का स्पष्ट निदेश दिया गया। आवेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में वाद खारिज करने की भी चेतावनी दिया गया। इसके बावजूद भी सुनवाई हेतु उपस्थित रहना आवेदक ने उचित नहीं समझा। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद के निष्पादन में आवेदक को कोई रूचि नहीं है। चूंकि इस वाद से उनको कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। पुनः दिनांक 30.03.2012 को सुनवाई हेतु रखा गया। अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद को समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित ।</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>	